न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

मनोज देवी बनाम ग्राम पंचायत तहसीलदार

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

ग्राम पत्थरगढ़ी

मुक. - 30/2021

| तारीख हुक्म | |
|---|---|
| | अप्रार्थीगण की सहमति पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहु पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 30.01.2024 को पेश हो।<br><br>( दिलीप सिंह )<br>उपखण्ड अधिकारी<br>श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) |
| 30.01.2024 | पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>Rathore 30/01/24<br>( दिलीप सिंह )<br>उपखण्ड अधिकारी<br>श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) |

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:51:00 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0)

## पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

| प्रकरण संख्या | जीसीएमएस | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 / 2021 | 2021 / 360 | 16.06.2021 | 30.01.2024 |

### उनवान प्रकरण

भागोती देवी पुत्री सुरजाराम आयु 79 वर्ष जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 23, शाहपुरा रोड, अजीतगढ़, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—प्रार्थीया—

बनाम्

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
2. केशरी देवी पत्नी प्रहलाद जाति जाट निवासी अजीतगढ़।
3. घोटी पुत्री चौथू जाति जाट निवासी अजीतगढ़।
4. नाथूराम उर्फ नानूराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी अजीतगढ़।
5. बनवारी उर्फ नानूराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी अजीतगढ़।
6. बंशीधर पुत्र चौथू जाति जाट निवासी अजीतगढ़।
7. मनभरी देवी पुत्री चौथू जाति जाट निवासी अजीतगढ़।
8. मुरली पुत्री चौथू जाति जाट निवासी अजीतगढ़।
9. महेश पुत्र चौथू जाति जाट निवासी अजीतगढ़।
10. रामकरण पुत्र चौथू जाति जाट निवासी अजीतगढ़।
11. रामचन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी अजीतगढ़।
12. सुमन प्रकाश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी अजीतगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:51:00 IST
Reason: SelfAttested

30/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

13. उमेश पुत्र हरमुख जाति पारीक निवासी अजीतगढ।

14. गुलाब देवी पत्नी सुन्दरलाल जाति जाट निवासी अजीतगढ

15. गोपाल पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी अजीतगढ

16. जगदीश पुत्र भगवानसहाय मृतक के बजायः–

16/1. नवरनत पुत्र स्व0 जगदीश

16/2. राज पुत्र स्व0 जगदीश

16/3. एकता पुत्री स्व0 जगदीश

16/4. निधि पुत्री स्व0 जगदीश

16/5. मंजू पत्नी स्व0 जगदीश

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

17. नरेश कुमार दत्तक पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

18. प्रमोद कुमार पुत्र सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी अजीतगढ

19. बजरंग पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी अजीतगढ

20. बीरबल पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी अजीतगढ

21. महेश पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी अजीतगढ

22. रघुवीर पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी अजीतगढ

23. राजेन्द्र पुत्र हरमुख जाति पारिक निवासी अजीतगढ

24. राधेश्याम पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी अजीतगढ

25. रामावतार पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी अजीतगढ

26. सुभाष पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी अजीतगढ

27. प्रमोद पुत्र मुरलीधर जाति ब्राह्मण (रानीपुरा वाले) अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

28. रघुनन्दन पुत्र मुरलीधर जाति ब्राह्मण (रानीपुरा वाले) अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

29. विनोद पुत्र मुरलीधर जाति ब्राह्मण (रानीपुरा वाले) अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:51:00 IST
Reason: SelfAttested

30/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

30. संजय पुत्र मुरलीधर जाति ब्राह्मण (रानीपुरा वाले) अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

31. हेमराज पुत्र मुरलीधर जाति ब्राह्मण (रानीपुरा वाले) अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

32. रमेशचन्द्र पुत्र नाथूलाल जाति महाजन निवासी अजीतगढ़।

33. सांवरमल पुत्र हरिशंकर जाति ब्राह्मण निवासी अजीतगढ़।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थित :—

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 अभिभाषक वकील प्रार्थीया।

श्री विक्रम सिंह बांकावत एड0, अप्रार्थीगण संख्या 6, 21 व 22 की ओर से।

श्री रामजीलाल दूधवाल, एड0 अप्रार्थी संख्या— 13 की ओर से ।

पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर— अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

**<u>प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128</u>**

**<u>राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956</u>**

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कृषि भूमि खसरा नम्बर 2106 रकबा 0.35 हैक्टर तन् ग्राम अजीतगढ पटवार हल्का अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित हैं, जिसकी प्रार्थीया एवं उसके परिवारजन राजस्व रिकार्ड अनुसार काबिज खातेदार काश्तकार हैं। उक्त वर्णित भूमियों का सीमाज्ञान तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के आदेश क्रमांक भू/अ/21/1473—76 दिनांक 10.06.2021 की पालना में पटवार हल्का अजीतगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:51:00 IST
Reason: SelfAttested

20/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के द्वारा विधिवत रूपेण सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2021 को करवाया जा चुका है। फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है। प्रार्थीया उक्त वर्णित भूमियों की विधिवत रूपेण पत्थरगढी करवाना चाहती है। मौके पर कोई फसल काश्त की हुयी नही है। पडौसी खातेदारान प्रार्थीया को अनायास ही हैरान परेशान करते रहते है एवं सीमा चिन्हो को नष्ट कर खुर्द–बुर्द करने एवं प्रार्थीया की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा रहते है जो कि काफी झगडालू किश्म के व्यक्ति हैं। उक्त लोग कहने सुनने समझाने से मान नही रही हैं। इसलिये प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार पुलिस प्रशासन की मौजूदगी एवं उनकी उपस्थिति में करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। उक्त प्रार्थना पत्र पत्थरगढी बावत अन्य सहखातेदारान की सहमति हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2106 रकबा 0.35 हैक्टर तन ग्राम अजीतगढ पटवार हल्का अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान की पत्थरगढी फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 11.06.2021 के अनुसार किये जाने के आदेश भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। अप्रार्थी की तामील करवाये जाने पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्रांक 685/रीडर/2021 दिनांक [illegible] ग्राम अजीतगढ़ के भूमि खसरा नम्बर 2106 रकबा 0.35 हैक्टर का सीमाज्ञान दिनांक [illegible].06.2021 को संयुक्त टीम के द्वारा करवाये जाने पर प्रार्थी द्वारा चाही गई पत्थरगढ़ी करवाये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किये जाने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:51:00 IST
Reason: SelfAttested

30/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

दिनांक 29.06.2021 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश पारित किये गये थें। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट बनवारी पुत्र लक्ष्मीनारायण जाट वगैरह के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर सम्भाग, जयपुर में अपील संख्या 23/2021 दायर करने व अपील में पारित निर्णय आदेश दिनांक 13.09.2021 के द्वारा अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय आदेश दिनांक 29.06.2021 को निरस्त किया जाकर प्रकरण को विवादित आराजीयात से प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किये जाने पर प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रभावित पक्षकारान् को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रार्थीया की ओर से श्री कमल कुमार शर्मा एड0 एंव अप्रार्थीगण रघुवीर पारीक व बंशीधर जाट की ओर से श्री विक्रम सिंह बांकावत एड0 उपस्थित आये। प्रकरण में वादग्रस्त आराजी भूमि के सींवजोड़ चारों तरफ के खातेदारान् की सूचि तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त की जाकर उनको सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गयें। अप्रार्थी संख्या 13 की ओर से श्री रामजीलाल दूधवाल एड0 ने उपस्थित होकर पत्थरगढ़ी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3, 5, 7 लगायत 12, 15, 16/1 से 16/5, 17 लगायत 20, 23 लगायत 33 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 6, 21 व 22 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रार्थी महेन्द्र जोशी ... आवश्यक पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश करने पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 27.07.2022 को खारिज किये जाने पर उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:51:00 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे अपील निगरानी संख्या 6424/2022 पेश की गई। जिस पर पारित निर्णय आदेश दिनांक 14.07.2023 के द्वारा निगरानी खारिज हो जाने तथा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.07.2022 को यथावत रखे जाने पर प्रकरण को पुनः सुनवाई में लिया गया। जिस पर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु पुनः नोटिस जारी किये गये। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 15, 19, 20, 22 की तामीलें इन्कारी से हो जाने के बावजूद व शेष अप्रार्थीगण की तामीलें सम्यक हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 19, 20 व 23 लगायत 33 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 6, 21 व 22 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 6, 21 व 22 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत खसरा नम्बर 2106 तन् ग्राम अजीतगढ़ के मौके की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट मंगवाये जाने का पेश किया। जिसका वकील प्रार्थीया ने जवाब दरख्वास्त प्रस्तुत करते हुए अप्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र गलत, मनघडन्त व आधारहीन पेश किये जाने तथा प्रकरण को केवल मात्र देरीना करने के कुप्रयास मात्र से वशीभूत होकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर प्रार्थना पत्र कानूनन पोषनीय नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी जाकर वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत खसरा नम्बर 2106 तन् ग्राम अजीतगढ़ के मौके की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र में चाही गई है। पत्थरगढी जैसे साधारण प्रार्थना पत्रों में मौके की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट मॅगवाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। ऐसी स्थिति में वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत मौके की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट मॅगवाये जाने का प्रार्थना पत्र सिरे से खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:51:00 IST
Reason: SelfAttested

20/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रकरण में वकील प्रार्थीया ने प्रार्थीया के काफी वृद्ध व अक्सर बीमार होने एंव पडौसी काश्तकार द्वारा प्रार्थीया व उसके परिवार को काफी प्रताड़ित किये जाने से प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किये जाने का निवेदन करते हुए अन्तिम निस्तारण किये जाने हेतु आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया। जिस पर वकील अप्रार्थीगण ने बहस सुनी जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई। वकील अप्रार्थीगण की सहमति के आधार पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई।

प्रकरण में दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी में वर्णित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए कथन किया कि पत्थरगढी करवाये जाने वाले खसरा नम्बर 2106 रकबा 0.35 हैक्टर तन् ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर की खातेदारी प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होकर खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीया का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त मौके पर है तथा मौके पर वर्तमान में कोई फसल काश्त नहीं की गई है। प्रार्थीया वकील ने पटवारी हल्का अजीतगढ़ द्वारा दिनांक 11.06.2021 को किये गये सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है। वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित वादग्रस्त आराजी भूमियों पर प्रार्थीया का कोई कब्जा काश्त नहीं है एंव ना ही कोई फसल काश्त की गई है। प्रार्थीया के नाम केवल मात्र जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जिसके आधार पर प्रार्थीया हमारे कब्जे काश्त की भूमियों पर जबरन कब्जा करना चाहती है। उक्त वादग्रस्त भूमियॉ हमारी खातेदारी में दर्ज भूमियों के साथ ही स्थित है। जिसको हम सम्मिलित रूप से अपनी भूमियों के साथ पूर्वजों के समय से काश्त करते चले आ रहे है अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी को खारिज किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:51:00 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
10/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस बहुपक्षीय ध्यानपूर्वक सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर सगौर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि तन ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 2106 रकबा 0.35 हैक्टर की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान प्रार्थीया के द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आवेदन करने पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश से सम्बन्धित पटवारी हल्का अजीतगढ़ के द्वारा दिनांक 11.06.2021 को सीमाज्ञान किया जाना स्पष्टतः प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा अपनी खातेदारी में दर्ज भूमियों का सीमाज्ञान करवा लिये जाने से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वावत पत्थरगढ़ी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विधिवत रूप से करवाये गये सीमाज्ञान के अनुसार प्रकरण में पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में उचित प्रतित होता है।

## —:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2021 को यथावत रखते हुए प्रकरण में पटवारी हल्का अजीतगढ़ की संयुक्त टीम के द्वारा दिनांक 11.06.2021 को किये गये सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 2106 रकबा 0.35 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम अजीतगढ़ पटवार हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:51:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

20/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/– रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/–रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का अजीतगढ़ के द्वारा दिनांक 11.06.2021 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो ) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

20/01/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी ★ श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:51:00 IST
Reason: SelfAttested

20/01/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)